DS GOREU

पश्चिम रेलवे

मंडल कार्यालय, अहमदाबाद

संख्या: ईएम/120/1 Vol V DS-WREU **दिनांक** 15.09.2015

सर्व संबंधित अहमदाबाद मंडल
महाप्रबंधक (स्था), चर्चगेट की जानकारी हेतु ।
मुख्य यांत्रिक इंजीनियर-चर्चगेट को जानकारी हेतु ।
सचिव महाप्रबंधक-चर्चगेट-कृपया मासिक गजट में प्रकाशित किया जाए ।
वमंयाइंजी (डीजल)वटवा, साबरमती, वमंयाइंजी-अहमदाबाद, मंयाइंजी-गांधीधाम
क्षेत्रिय निदेशक, क्षेत्रिय प्रशिक्षुता निदेशालय, सायन वी.एन पूरव मार्ग-मुंबई- 400 022 को जानकारी हेतु ।
सचिव-वेरेमसंघ-वेरेएयू-अजा/अजजा-अपिजा असोसिएशन अहमदाबाद मंडल
प्रधानाचार्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था कुबेर नगर,सरसपुर-सोलारोड अहमदाबाद
रोजगार अधिकारी-रोजगार अधिकारी का कार्यालय मेघानीनगर अहमदाबाद

विषय:-प्रशिक्षु अधिनियम 1961 के अधीन प्रशिक्षुओं की प्रशिक्षण हेतु नियुक्ति-यांत्रिक विभाग-अहमदाबाद मंडल । DS-WREU

संदर्भ: - मुख्यालय के पत्र दिनांक 31.07.2014 सं.ई (आर एन्ड टी) 120/10 VOL-XX

*****

प्रशिक्षु अधिनियम 1961 के अंतर्गत वर्ष 2015-16 के लिए अहमदाबाद मंडल यॉंत्रिक विभाग मे प्रशिक्षुओ को नियुक्ति के लिए रोजगार सूचना संख्या: ईएम/120/1 /Vol IV दिनांक 15.09.2015 की प्रति सूचना पट मे सर्व संबंधित को जानकारी एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्नीत है ।

अत: उपरोक्त अधिसूचना के संदर्भ में आप से अनुरोध है कि संबधित ट्रेड मे आई.टी.आई पास उम्मीदवारों से निर्धारित प्रर्फोमा में प्राप्त आवेदन पत्र (नमुने के तोर पर क.ख एंव ग के साथ संलग्न है). एक अगेषण पत्र सहित मंडल रेल प्रबन्धक (स्थापना) अहमदाबाद को 15.10.2015 **को 18.00 बजे तक** निश्चित रुप से भेजने का प्रबंधकरें। DS-WREU

कार्यालय: मंडल रेल प्रबंधक (स्थापना) का कार्यालय
पश्चिम रेलवे अहमदाबाद

ईस कार्यालय मे रखी गई पेटी मे अपने आवेदन पत्र ईस कार्यालय समय के दौरान आखरी दिनांक 15.10.2015 को 18.00 बजे तक या उसके पूर्व डाल सकते है।

रजिस्टर्ड डाक पावती से आवेदन पत्र स्वीकार नही किया जायेंगे। आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की निर्धारित दिनांक के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नही किया जायेंगे।अधूरे एवं गलत भरे हुए आवेदन पत्रों पर विचार नही किया जायेंगा। अधिसूचना की एक प्रति सूचना पट पर लगा दी जाए।

ईसे मंडल रेल प्रबंधक -अहमदाबाद का अनुमोदन प्राप्त है।

संलग्न / रोजगार सूचना और अनुलग्नक - ए, बी और सी.

(अ.यु.सोलंकी)
सकाधि (यॉंत्रिक)
कृते मंरेप्र (स्था)अहमदाबाद

DS-WREU

पश्चिम रेलवे

संख्या ईएम/120/1 Vol. V

मंडल कार्यालय,
अहमदाबाद
दिनांक.15.09.2015

DS-WREU

आवेदन प्राप्त होने की अंतिम दिनांक 15.10.2015

विषय: - अप्रैन्टिस एक्ट, 1961 के अंतर्गत व्यवसाय शिक्षुओ को प्रशिक्षन मे वर्ष 2015-16 अनुबंधित करना, याँत्रिक विभाग अहमदाबाद मंडल ।

संदर्भ: - मुख्यालय के पत्र दिनांक 31.07.2014 सं.ई (आर एन्ड टी) 120/10 VOL-XX

****

उपरोक्त **संदर्भित पत्र के** अनुसार शिक्षु अधिनियम के अंतर्गत प्रशिक्षुओं को निम्न लिखित स्त्रोतो से प्रशिक्षण मे रखा जायेगा।

DS-WREU

अ) निकटतम रोजगार कार्यालय (Nearest Employment Exchange)

ब) अजा/अजजा संगठन (SC/ST Organisation)

क) आई.टी.आई जहाँ कही मैजुद है।

ग) रेल कर्मचारीयों के आश्रित (Wards of Railway Employee)

निम्न लिखित व्यवसायों मे संबधित ट्रेड मे आई.टी.आई पास उम्मीदवारो को ही व्यवसायी शिक्षु के रुप मे प्रशिक्षण हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है।

DS-WREU

क्रम संख्या	निर्देशित व्यवसाय	आरक्षण				कुल	रिर्माक्स
		सामान्य	अजा	अजजा	अपिजा		
1	फिटर (जनरल)	57	17	09	31	114	10+2 प्रणाली के अंतर्गत 10 वी कक्षा पास या उसके समकक्ष केवल NCVT पास उम्मीदवार (i.e ex. ITI)
2	वेल्डर (गेस एंव ईले)	09	03	01	04	17	
3	इलेक्ट्रिशियन	27	08	04	15	54	
4	ईलेक्ट्रोनिक मिकेनिक	02	01	00	01	04	
5	कारपेंटर	05	01	01	02	09	
6	मशीनिष्ट	02	01	00	01	04	
7	टर्नर	01	00	00	00	01	
8	पेइन्टर (जनरल)	03	01	00	01	05	
9	पाईप फिटर	02	00	00	01	03	
10	मिकेनिक मोटर व्हीकल	01	00	00	01	02	
11	प्रोग्रामिगं एंव सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टन्ट (PASAA)	03	01	00	01	05	
12	लेबोरेटरी असिस्टन्ट (केमिकल प्लांट)	02	00	00	01	03	
13	मोटर व्हीकल बोडी बिल्डर	01	00	00	00	01	
	कुल	115	33	15	59	222	

DS-WREU

नोंध:- (i) उपरोक्त निर्देशित पद (जगह) परिवर्तनशील है ।

(ii) रेलवे बोर्ड के पत्र सं.ई(एमपीपी) 2002/6/10 दिनांक 31/12/2002 अनुसार अपिजा से संबंधि उम्मीदवारों का आरक्षण इस शर्त के साथ किया जाता है कि अपिजा के उम्मीदवारों द्वारा ना भरी गई सीटों को अनारक्षित कोटि से भरा जाएगा ।

1. **पात्रता** DS-WREU

उम्मीदवार निम्नलिखित शर्तो को पूरा करने पर आवेदन करने के पात्र होगा।

आयु-प्रार्थी की आयु दिनांक 15.09.2015 को

(i) सामान्य उम्मीदवारो के लिए आयु सीमा 15 से 24 वर्ष के मध्य होगीं।

(ii) अजा/अजजा वर्ग उम्मीदवारो के लिए आयु सीमा में 5 वर्ष एवं अन्य पिछडा वर्ग उम्मीदवारो को 3 वर्ष की छूट दी जाएगी।

(iii) 10+2 शैक्षणिक प्रणाली के अंतर्गत कक्षा 10वीं उत्तीर्ण अथवा उसके समकक्ष परीक्षा पास किया हो।

(iv) अधिसूचना मे दर्शाये गये निर्धारित ट्रेड में ITI (NCVT)किया हो।

(v) प्रशिक्षण की अवधि (01 से 02 वर्ष तक) DS-WREU

क्र.सं	प्रशिक्षण वर्ष की संख्या.	उन उम्मीदवारो के लिए
01	एक वर्ष	जिन उम्मीदवारो ने संबध्द व्यवसाय मे दो वर्ष के लिए ITI पाठयक्रम पास किया हो।
02	दो वर्ष	जिन उम्मीदवारो ने संबध्द व्यवसाय मे एक वर्ष के लिए ITI पाठयक्रम पास किया हो।

नोंध:- मुख्यालय के पत्र दिनांक17.01.2006 सं ई (आर एन्ड टी) 120/10 भाग XVII के संदर्भ मे निम्न लिखित बातें ध्यान मे रखी जाएगी। DS-WREU

(i) P.S.सं. 146/2002 अनुसार प्रशिक्षु अधिनियम 1961 के अंतरगत प्रशिक्षु को प्रशिक्षण के संबध मे निर्देश समय समय पर जारी किए गए है।

(ii) SSC/दसवीं कक्षा एंव आई टी आई में प्राप्त अंको का प्रतिशत आधारभूत मानदण्ड रहेगा ।

(iii) यदि उम्मीदवार डिप्लोमा पास हो तो उसे नियमानुसार महत्व दिया जाएगा।

(iv) योगयता सूची उपरोक्त क्रम क्रमानुसार (जो भी लागु हो) मे प्राप्त प्रतिशत के आधार पर तैयार की जाएगी।

(v) यदि कोई उम्मीदवार 15 दिनों के अंदर उपस्थित नहीं होता, तो उपरोक्त के अनुसार बनायी गयी गुणवत्ता सूची में से संबंद्ध कोटि के अगले व्यक्ति को स्लॉट आबंटित किया जाएगा ।

2. **सामान्य अनुदेश/हिदायते : -**

1. प्रशिक्षुओं को एक/दो वर्ष की अवधि के लिए जो भी लागु हो प्रशिक्षण दिया जायेगा।
2. प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण अवधि के दौरान निम्नलिखित मासिक Stipend दिया जायेगा।

DS-WREU

a.	प्रथम वर्ष प्रशिक्षण काल में	संबधित राज्य संघ राज्य क्षेत्र द्वारा अधिसूचित अर्धकुशल कर्मकारों की न्युन्तम मजदूरी का 70 प्रतिशत
b.	द्वितीय वर्ष प्रशिक्षण काल में	संबधित राज्य संघ राज्य क्षेत्र द्वारा अधिसूचित अर्धकुशल कर्मकारों की न्युन्तम मज़दूरी का 80 प्रतिशत
c.	तृतीयें व चौथे वर्ष प्रशिक्षण काल मे	संबधित राज्य संघ राज्य क्षेत्र द्वारा अधिसूचित अर्धकुशल कर्मकारों की न्युन्तम मजदूरी का 90 प्रतिशत

नोंध:-अन्य कोई भत्ते देय नहीं होंगे ।

3. उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए अपने स्वंय के खर्च पर आना होगा DS-WREU
4. नियुक्ति से पूर्वचयनित/चूने हुए प्रशिक्षुओ को निर्धारित शारीरिक स्वस्थता चिकित्सा परीक्षा पास करना होगा जिसके लिए उम्मीदवार चिकित्सा परीक्षा शुल्क के रुप मे रु. 24/- का भुगतान करना होगा।
5. चयनित उम्मीदवार प्रशिक्षु अधिनियम 1961 द्वारा शासित होगें। वह उम्मीदवार जो चयनित (यदि व्यस्क) है उसे या अव्यस्क प्रशिक्षुओ के मामले मे उसके पिता/संरक्षक द्वारा प्रशिक्षुता का अनुबंध करना होगा। यदि प्रशिक्षु किसी कारण से प्रशिक्षण पूरा करने मे असमर्थ रहता है तो प्रशिक्षु सलाहकार के द्वारा कारण अस्वीकार करने के लिए वह या उसके पिता/संरक्षक द्वारा अनुबंध की शर्तो और निबंधन के अतंर्गत प्रशिक्षु सलाहकार द्वारा निश्चित की गई प्रशिक्षण की लागत का नियोक्ता को जमा करेगा। DS-WREU
6. प्रशिक्षण के दौरान ओर इसके बाद रेल प्रशासन द्वारा आवासीय सुविधा उपलब्द नही करवायी जाएग, प्रशिक्षु को उनकी स्वयं की व्यवस्था करनी होगी।
7. प्रशिक्षण की अवधि समाप्त होने पर प्रशिक्षुका अनुबंध समाप्त होगा । उनके सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा करने पर प्रशिक्षु को रोजगार और प्रशिक्षण के महानिर्देशक सामान्य रोजगार ओर श्रम मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा आयोजित व्यचसायिक परीक्षा देने जाना होगा । सफल उम्मीदवार को अखिल भारतीय स्तर पर राष्ट्रीय प्रशिक्षु प्रमाण पत्र दिया जायेगा।
8. रेलवे के अन्य प्रशिक्षुओं की तरह प्रशिक्षु छुट्रटी के लागु/प्रचलित नियमो से शासित होंगे।

4) **आवेदन करने का तरीका : -** DS-WREU

a) निर्धारित फार्म मे "क"के अनुसार सभी तरह से भरा हुआ आवेदन ईस कार्यालय मे दिनांक 15.10.2015 को 18.00 बजे तक (सार्वाजनिक छुटटी एवं कार्यालय के छुटटी के दिन छोडकर)या इससे पूर्व प्रस्तुत करना होगा। व आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता, जाति व आयु के प्रमाण में प्रमाणभूत, प्रमाण-पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रतियां भी संलग्न करनी होगी।
आवेदन पत्र मंडल रेल प्रबंधक (स्थापना), पश्चिम रेलवे अहमदाबाद के नाम भेजे जाएं व किसी व्यक्ति विशेष के नाम न भेजे जाएं । आवेदन पत्र के लिफाफें के उपर अप्रैन्टिस एक्ट-1961 के अंतर्गत शिक्षुओं व्यवसाय अप्रैन्टिसशिप हेतु के लिए आवेदन पत्र अंकित किया जाए ।

b) मंडल रेल प्रबंधक (स्थापना) कार्यालय में स्थापना (यांत्रिक) अनुभाग (ईएम अनुभाग) चामुंडा पुल के पास, नरोडा रोड,अहमदाबाद में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के लिए बक्सा रखा गया है । आवेदन पत्र कार्यालय समय में सोमवार से शुक्रवार को 9:30 बजे से 18:00 बजे के दौरान पहुंचाए जा सकते है, या डाक द्वारा भेजे जा सकते हैं । DS-WREU

DS-WREU

c) अधुरे भरे गये आवेदन पत्र, या अहस्त.क्षरित आवेदन पत्र या निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्रो को ग्रहण नही किया जायेगा रदद कर दिया जायेगा।

d) ईस कार्यालय द्वारा कोरे आवेदन फार्म नही दिए जाएगें ओर इस विषय मे किसी भी प्रकार का पत्र व्यवहार नही किया जाएगा।

DS-WREU

e) आईटीआई पास करने और स्कूल छोडने का प्रमाण पत्र या अन्य शौक्षणिक प्रमाण पत्र (सभी प्रयासों "Trial" के प्रमाणपत्र सहित) की सभी प्रतिलिपियाँ राजपत्रित अधिकारी द्वारा अनुप्रमाणित या उम्मीदवार द्वारा स्व प्रमाणित (Self Attested) प्रति जन्म दिनांक और शौक्षणिक योग्यता के साक्ष्य मे आवेदन पत्र के साथ लगाई जायेगी, इसके अभाव मे आवेदन पत्र को नही सवीकार किया जायेगा।

f) अपिज(OBC) के उम्मीदवार को वर्तमान वर्ष का उन्नत वर्ग मे शामिल नहीं होने का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा, इस मे किसी प्रकार की छूट नही दी जायेगी।

g) शैक्षणिक योगयता तथा आयु की पुष्टि के लिए स्कूल सर्टीफिकेट की प्रमाणित प्रतिलिपि तथा जाति के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाती प्रमाण पत्र संलग्न प्रर्फोमा "क" अनुसार आवेदन के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

DS-WREU

h) दो पासपोर्ट साईज के हस्ताक्षरित फोटोग्राफ आवेदन पत्र के साथ भेजने होगें, एक आवेदन पत्र मे दी गई जगह पर लगाया जाएगा और दूसरे को स्टेप्लर से लगाया जाएगा।

i) किसी भी प्रकार की मत याचना करने से उम्मीदवार अयोग्य घोषित होगा।

j) यदी किसी रोजगार कार्यालय मे उम्मीदवार का नाम पंजीकृत किया गया हो तो उस कार्ड की अनुप्रमाणित प्रति संलग्न किया जाएगा।

k) यदि आवेदक रेल कर्मचारी का आश्रित (जो रेलवे पास संहिता के अनुसार पास पाने का हकदार हो) है तो उसे अधिसूचना के साथ संलग्न किया गया परिशिष्ट -ग रेल कर्मचारी के कार्यालय से सत्यापित पत्र आवेदन के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य।

l) प्रशिक्षु की नियुक्ति के बारे मे अंतिम निर्णय रेल प्रशासन का मान्य होगा।

m) **प्रशिक्षण के पूर्ण होने पर रेलवे में नियुक्ति के लिए रेल प्रशासन बाध्य नहीं है।**

नोट:: शिक्षु अधिनियम 1961 की धारा 33 के तहत सभी मामलों पर संज्ञान होगा।

DS-WREU

न:एक परिशिष्ट **क, ख,एंव ग**

(अ.यु. सोलंकी)

सहायक कार्मिक अधिकारि (यॉंत्रिक)

कृते मंडल रेल प्रबंधक (स्थापना) अहमदाबाद

DS-WREU

सेवा में,
मंडल रेल प्रबंधक (स्थापना),
अहमदाबाद

(अंतिम दिनांक 15.10.2015)

विषयः-अप्रैन्टिस एक्ट, 1961 के अधीन व्यवसाय अप्रैन्टिस की प्रशिक्षण हेतु अनुबंधन के लिए आवेदन पत्र , यॉंत्रिक विभाग, अहमदाबाद मंडल

संदर्भः- मंडल कार्यालय (स्थापना) का दिनांक 15.09-2015 की अधिसूचना सं.ईएम/120/1 Vol.V

****

मै, अद्योहस्ताक्षरित, संदर्भाधीन अधिसूचना के संदर्भ में ____________ व्यवसाय में शिक्षु के तौर पर अनुबंधित होने के लिए अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत करता हूँ ।

1.	आवेदक का नाम						
2.	पिता का नाम						
3.	जाति						
4.	जन्म तारीख एवं आयु (दिनांक 15.09.2015 को)		वर्ष		महिना		दिन
5.	शैक्षणिक योग्यता						

(अ) शैक्षणिक

क्रमांक	उत्तीर्ण परीक्षा	बोर्ड का नाम	वर्ष	दर्जा/श्रेणी	अंको का प्रतिशत
1					
2					
3					

(ब) तकनीकी

क्रमांक	उत्तीर्ण परीक्षा	बोर्ड का नाम	वर्ष	दर्जा/श्रेणी	अंको का प्रतिशत
1					

6.	शारीरिक पहचान चिन्ह	1) 2)
7.	(अ) पत्राचार का पता	
	(ब) स्थायी पता	
8.	राष्ट्रीयता	

DS-WREU

DS-WREU

9.	(क) रोजगार कार्यालय में पंजीकृत संख्या और दिनांक :	
	(ख) रोजगार कार्यालय का नाम	
10.	दूरभाष/मोबाईल नं	
11.	ई. मेइल आई डी नं	

प्रमाणित किया जाता है कि उपयुक्त विवरण मेरी जानकारी के अनुसार पूर्णतया सत्य है और यदि गलत पाया गया तो मैं प्रशिक्षण से निकाल दिए जाने का उत्तर दायी रहूंगा ।

12.	आवेदक के हस्ताक्षर	
	आवेदक के बाएं हाथ के अंगूठे का निशान	

13.	संलग्न प्रमाणपत्रों की प्रतियां का विवरण	
I.		
II.		
III.		
IV.		
V.		
VI.		
VII.		

DS-WREU